

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- 1146 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय / नवीन पाठ्यक्रम / नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय / समिति) के द्वारा प्रस्तुत / विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों / विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों / दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है -

संख्या	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	गुरु साहब एजुकेशन सोसायटी, सोनपुर तहसील चिचोली (बैतूल)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	गुरु साहब विज्ञान एवं कला महाविद्यालय, सोनपुर तहसील चिचोली (बैतूल)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय (वनस्पति, रसायन, प्राणी) अति0वि0 माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर साईंस, बी0काम0-तृतीय (कम्प्यूटर एप्ली.सहित), बी0बी0ए0-तृतीय, बी0ए0-तृतीय (इतिहास, राजनीति, समाज) अतिवि0, कम्प्यू0 एप्ली., अर्थशास्त्र
5	आदेश क्रमांक - 574 / 369 / आउशि / सम्बद्धता / 17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	शेष कम जमा शुल्क राशि रूपये 90,000/- चालान द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 07/03/2017 को जमा किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19/05/2016 को जारी सम्बद्धता में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। महा0 सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं।

//2//

6 आदेश दिनांक शेष कम जमा शुल्क राशि रूपये 90,000/- चालान द्वारा  
10/04/2017 द्वारा प्रथम अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 07/03/2017 को जमा  
'रिव्यू' अमान्य करने का किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19/05/2016  
कारण को जारी सम्बद्धता में द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है।  
महा0 सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में  
पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है।

7 द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां तथा विश्वविद्यालय की  
निष्कर्ष द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है।


8 द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय

आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय (वनस्पति, रसायन, प्राणी) अति0वि0 माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर साईंस, बी0काम0-तृतीय (कम्प्यूटर एप्ली. सहित), बी0बी0ए0-तृतीय, बी0ए0-तृतीय (इतिहास, राजनीति, समाज) अतिवि0, कम्प्यू0 एप्ली. अर्थशास्त्र

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1147/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1-- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2-- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 3-- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4-- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 5-- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6-- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- 1148/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-


सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कलावती स्मृति एजुकेशन सोसायटी, (सीहोर)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	कलावती स्मृति महाविद्यालय, सीहोर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०ए०- प्रथम वर्ष (राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र), अतिरिक्त विषय- अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, हिन्दी, अंग्रेजी
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज में मा.शि.मं. का डी.एड. विषय संचालित है। एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रम के संचालन की अनुमति है, सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु पृथक भवन उपलब्ध नहीं है। यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख, अप्राप्त हैं। बरकतउल्ला वि.वि. का कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	आदेश दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण जिन कारणों से अमान्य किया गया था, वही स्थिति यथावत् है।

7	द्वितीय रिब्यू परीक्षण कॉलेज में डी.एड. संचालित है। सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु निष्कर्ष पृथक मवन उपलब्ध नहीं है।			
8	द्वितीय रिब्यू पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय			
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम		- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0- प्रथम वर्ष (राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र), अतिरिक्त विषय- अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, हिन्दी, अंग्रेजी	

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौता कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1149/369/आजशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- 1150/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	प्रोग्रेसिव एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महात्मा गांधी कॉलेज, आष्टा, सीहोर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०ए०-तृतीय वर्ष (हिन्दी सा०, समाज, इतिहास), अतिवि० राजनीति, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी सा., कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र एवं सोशल वर्क
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं। द्वितीय वर्ष की विश्वविद्यालय की सम्बद्धता नहीं है। शेष कम जमा शुल्क राशि रुपये 10,000/- (अतिवि० अंग्रेजी सा.) चालान द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् दिनांक 02/03/2017 को जमा किया गया है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	विश्वविद्यालय की गत वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में पूर्ण नियुक्तियां नहीं हैं। 10,000/- का चालान अंतिम तिथि के पश्चात् का है।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	विश्वविद्यालय की गत वर्ष की बी.ए. द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां पर्याप्त नहीं है।	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय वर्ष (हिन्दी सा0, समाज, इतिहास), अतिवि0 राजनीति, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी सा., कम्प्युटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र एवं सोशल वर्क

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 115/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- <sup>1177</sup> ~~1178~~ /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम रिष्यू के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय रिष्यू प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय रिष्यू के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय रिष्यू के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	भोपाल लेबर कॉलेज सोसायटी, भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	इनोवेटिव कॉमर्स कॉलेज, भोपाल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी.कॉम.- प्लेन द्वितीय वर्ष अति.वि. कम्प्यूटर, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, बी.कॉम.- ऑनर्स द्वितीय वर्ष (एकाउण्ट, मैनेजमेंट), बी.बी.ए.- द्वितीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में संस्था द्वारा विद्यालय बंद कर कालेज प्रारंभ करने संबंधी शपथ-पत्र के आधार पर प्रावधिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 20/05/2016 को जारी किया गया था। यह तभी मान्य होगा जब संस्था को कस्टमर क्रमांक 9122048 के तहत बी0एच0ई0एल0 के लायसेंस दिनांक 21/8/12 तथा इसी दिनांक से अनुबंध में उल्लेखित भूमि/भवन में कॉलेज संचालित करने संबंधी अनापत्ति बी0एच0ई0एल0 से प्राप्त कर लें। बी0एच0ई0एल0 के पत्र दिनांक 29/11/2016 द्वारा संस्था को स्कूल के भवन पर कॉलेज संचालित करने के लिये पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं देते हुए शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि पर समिति को कॉलेज संचालन हेतु स्वतंत्र किया गया है। शपथ-पत्र अनुसार विद्यालय बंद करने का प्रमाण-प्रस्तुत नहीं किया


//2//

		गया है। कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं। 2. कार्यालयीन पत्र दिनांक 23/02/2017 चाहे अनुसार संस्था द्वारा कमी/पूर्ति संबंधी जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।	
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित नियुक्तियां नहीं हैं।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में अपेक्षित नियुक्तियां नहीं हैं।	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी.कॉम.- प्लेन द्वितीय वर्ष अति.वि. कम्प्यूटर, टेक्सेशन, टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, बी.कॉम.- ऑनर्स द्वितीय वर्ष (एकाउण्ट, मैनेजमेंट), बी.बी.ए.- द्वितीय वर्ष

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- ~~1178~~ 369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- 152/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सोसायटी फॉर पार्टीसिपेटरी एडवांसमेंट ऑफ रूरल एण्ड सबईकोनोमिकल हेबिटेन्ट्स "स्पर्श", भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एक्सीलेंस कॉलेज, खेड़ली, बिलकिसगंज (सीहोर)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.-प्रथम वर्ष (इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी)
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०काम० द्वितीय वर्ष, अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित, बी.बी.ए.- द्वितीय वर्ष, बी.सी.ए.- द्वितीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कार्यालयीन पत्र दिनांक 14/02/2017 चाहे अनुसार संस्था द्वारा कमी/पूर्ति संबंधी जानकारी/अभिलेख (कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति की जानकारी, विश्वविद्यालय द्वारा गत वर्ष में दी गई सम्बद्धता गत वर्ष का हस्ताक्षरित परीक्षा, परिणाम, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, भवन में वृद्धि संबंधी अग्रणी महा० से सत्यापित रजिस्टर्ड दस्तावेज, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज आवेदित नवीन पाठ्यक्रमों में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुए/नहीं संबंधी प्राचार्य शासकीय अग्रणी महा० का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। गत वर्ष इस कार्यालय द्वारा निरन्तरता का प्रकरण पत्र दिनांक 11/04/2016 द्वारा अमान्य किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा गत वर्ष सम्बद्धता नहीं दी गई। कॉलेज कोड-28 में नियुक्तियां नहीं है।


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है, समिति गठित होकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	निरन्तरता पाठ्यक्रमों में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं होने से अमान्य तथा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं होने से नवीन पाठ्यक्रम अमान्य।	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0काम0 द्वितीय वर्ष, अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित, बी.बी.ए.-द्वितीय वर्ष, बी.सी.ए.-द्वितीय वर्ष बी.ए.-प्रथम वर्ष (इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी)

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1153/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 26/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.

क्रमांक- 1154/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	दीवडिया शिक्षा समिति, ग्राम दीवडिया तह. इछावर -सीहोर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, इछावर (सीहोर)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय वर्ष में अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटरएप्लीकेशन
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	बी0ए0-द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है, चयन समिति गठित है। संस्था सत्र 2013-14 से किराये के भवन में संचालित है। किराये के भवन से स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन हेतु संस्था से समस्त अभिलेख प्राप्त न होने के कारण अब तक स्थल निरीक्षण नहीं कराया गया है, जबकि बगैर निरीक्षण/अनुमति के महाविद्यालय का संचालन नियम विरुद्ध स्वयं के भवन में प्रारंभ किया जा चुका है। महाविद्यालय के स्थल परिवर्तन की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा के विचाराधीन होने के उपरान्त भी संस्था द्वारा बगैर अनुमति के महाविद्यालय का स्थल परिवर्तन कर लिया गया


//2//

		ढोने से संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही हेतु चाहा गया स्पष्टीकरण आज पर्यन्त अप्राप्त रहा है। अंतिम स्मरण-पत्र दिनांक 09/12/2016 को जारी किया गया है। पत्र दिनांक 14/2/2017 द्वारा खेल मैदान पार्किंग हेतु नोटरीयल अनुबंध उपलब्ध कराया जाकर स्थल परिवर्तन की अनुमति अनुमति चाही गई है। मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	विश्वविद्यालय की गत वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। महाविद्यालय के स्थल परिवर्तन की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा से अप्राप्त है। संस्था द्वारा बगैर अनुमति के महाविद्यालय का स्थल परिवर्तन कर लिया गया है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में निरन्तरता के विषय- कम्प्यूटर एप्लीकेशन में नियुक्ति नहीं होकर पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। महाविद्यालय के स्थल परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी0ए0-तृतीय वर्ष में अति-विषय-कम्प्यूटरएप्लीकेशन

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1155/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 28/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1158 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	संकल्प सामाजिक परिवर्तन एवं अनुसंधान समिति, विदिशा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	राजीव गांधी महाविद्यालय, गंजबासौदा (विदिशा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय अति0विषय- कम्प्यु0 एप्ली0, एवं इतिहास
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	निरन्तरता के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यु0 एप्ली0, एवं इतिहास विषय सहित कॉलेज कोड 28 में पूर्ण नियुक्तियां नहीं है। द्वितीय वर्ष की विश्वविद्यालय की 2016 की संबद्धता नहीं है।

//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	निरन्तरता के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यू0 एप्ली0, एवं इतिहास विषय में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां तथा विश्वविद्यालय की संबद्धता नहीं है।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी0ए0-तृतीय अति0विषय- कम्प्यू0 एप्ली0, एवं इतिहास

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

*h. 22/4/17*  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- *1159*/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- *30/04/2017*.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको. भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*h. 22/4/17*  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- /04/2017.

क्रमांक- 1160/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व. घनश्याम सिंह देवड़ा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, हरदा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सतपुड़ा वैली कॉलेज, सिराली (हरदा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय वर्ष में अतिरिक्त विषय-कम्प्यूटर एप्ली.
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	महा0 सत्र 2012-13 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं हैं। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 27/10/2016 द्वारा चयन समिति गठित। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता नहीं है। ई.पी.एफ. कटौती पत्रक, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित जानकारी नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' निराकरण	प्रथम रिव्यू में प्रकरण मान्य किया जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 10/04/2017 को जारी हो चुका है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	निरन्तरता पाठ्यक्रम का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 10/04/2017 को जारी किया जा चुका है, अतः अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
---	-----------------------------------	--

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 116/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक— /04/2017.  
प्रतिलिपि :-

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1162/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ऊँ साई शिक्षा मण्डल ग्रामीण विकास समिति, पठारी (विदिशा)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	श्री लखनलाल अग्निहोत्री महाविद्यालय, खुरई रोड, पठारी (विदिशा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0द्वितीय( आ.पा.,अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यु0 एप्ली0, बी0कॉम0-प्लेन-द्वितीय
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	महा0 सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20/09/2016 द्वारा चयन समिति गठित है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है।


1/2/1

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी0ए0 द्वितीय (आ.पा., अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यु0 एप्ली0, बी0कॉम0-प्लेन-द्वितीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1163/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- /04/2017.

क्रमांक- 1166 /369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	समय सामाजिक परिवर्तन एवं अनुसंधान समिति, ग्राम-उमरछा पोस्ट-कुल्हार कुरवाई (विदिशा)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	बुन्देलखण्ड डिग्री कॉलेज, ग्राम सिहोरा कुरवाई (विदिशा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	संशोधित- बी0ए0-तृतीय (राजनीति, कम्प्यु0 एप्ली0, इतिहास,) एग्रीकल्चर मार्केटिंग एवं बी.एस.सी. तृतीय वर्ष (भौतिक, गणित, रसायन) अति. विषय-प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कम्प्यू साइंस,
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	शुल्क राशि रुपये 70,000 कम जमा किया गया है। द्वितीय वर्ष की विश्वविद्यालय की 2016 की संबद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं,
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	शुल्क कम जमा किया गया है। द्वितीय वर्ष की विश्वविद्यालय की 2016 की संबद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में पूर्ण नियुक्तियां नहीं हैं।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	द्वितीय वर्ष की विश्वविद्यालय की 2016 की संबद्धता नहीं है। कॉलेज कोड 28 में पूर्ण नियुक्तियां नहीं है।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय (राजनीति, कम्प्यु0 एप्ली0, इतिहास,) एग्रीकल्चर मार्केटिंग एवं बी.एस.सी. तृतीय वर्ष (भौतिक, गणित, रसायन) अति. विषय-प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कम्प्यू, साइंस,

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 116/369/आरशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- /04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1156/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध संस्था द्वारा प्रथम -रिव्यू दर्ज नहीं किया जाकर राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	न्यू एक्टिव एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	अशासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़ (राजगढ़)।
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस), बी.ए. (हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, कम्प्यूटर एप्ली.
4	आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पुनः निरीक्षण कराने के उपरान्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़ के पत्र दिनांक 10/04/2017 द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि भवन के तृतीय तल पर अध्ययन कक्षों का निर्माण कार्य चालू है, शीघ्र पूर्ण होना संभावित है। संशोधित नक्शा एवं छायाचित्र संलग्न किये गये हैं। संस्था द्वारा संशोधित नक्शा संलग्न किया गया है, किन्तु संशोधित भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र नहीं है। अतः नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रकरण अमान्य।


//2//

5	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिनांक 19/04/2017 को जारी संशोधित भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
6	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस), बी.ए. (हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, कम्प्यूटर एप्ली.
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम - निरंक -

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-157/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1164/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध संस्था द्वारा प्रथम -रिव्यू दर्ज नहीं किया जाकर राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	एलाएन्स रूरल एण्ड अर्बन डेव्लपमेंट सोसायटी, भोपाल एजुकेशनल सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, वार्ड 14-छीपावद, खिरकिया (हरदा)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.सी.ए -प्रथम वर्ष, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस), बी.एस. डबल्यू -प्रथम वर्ष.
4	आदेश क्रमांक - 584/378/ आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1.भूमि डायवर्सन में व्यावसायिक प्रयोजन (मंगल भवन) का उल्लेख है। 2. 20 कि.मी. के दायरे में विष्णु राजोरिया कालेज (अशासकीय) संचालित है। जिसमें संचालित पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं है। 3. 30 वर्ष की भूमि भवन की लीज डीड का पंजीयन नहीं हुआ है। 4. खेल मैदान का साक्ष्य संलग्न नहीं है। 5. भवन निर्माण संबंधी नक्शा मंगल भवन के लिए है तथा उसी का पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न है।


//2//

5	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	भूमि, भवन के पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। ई-रजिस्ट्री दिनांक 18/04/2017 में सम्पत्ति का उपयोग केवल शिक्षण संस्था हेतु करने का उल्लेख है। 20 कि.मी. के दायरे में आवेदित पाठ्यक्रम संचालित नहीं है। खेल मैदान का साक्ष्य संलग्न किया गया है।	
6	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अग्रलिखित मान्य पाठ्यक्रम	बी.सी.ए - प्रथम वर्ष, बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साईंस), बी.एस. डबल्यू - प्रथम वर्ष.
	आवेदित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिणियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1165/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्य प्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1169/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध संस्था द्वारा प्रथम -'रिव्यू' दर्ज नहीं किया जाकर राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	स्व. पंडित श्री ग्यारसीराम शर्मा शिक्षा समिति, राजगढ़
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	प्रेस्टिज कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, राजगढ़।
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति.विषय बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साईंस, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर साईंस गणित, भौतिकशास्त्र) अति.विषय रसायनशास्त्र
4	आदेश क्रमांक - 584/378/ आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.4 समिति के महा0 हेतु मानदण्ड के अंतर्गत नवीन महाविद्यालय भवन हेतु महा0 परिसर से क्षेत्रफल कम से कम 4000 वर्गफीट होना अनिवार्य है, की पूर्ति समिति द्वारा नहीं की जा रही है। समिति के पास उपलब्ध प्लॉट का एरिया 60x40=2400 वर्गफीट है।


//2//

5	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	खेल मैदान के दस्तावेज पंजीकृत नहीं है। प्रस्तावित महाविद्यालय भवन एवं पार्किंग/क्षेत्रफल पृथक-पृथक है।	
6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	पुनः निरीक्षण कराने पर अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, राजगढ़ द्वारा किये गये प्रमाणीकरण अनुसार संस्था के क्षेत्रफल से संबंधित दस्तावेज मार्गदर्शिका की कण्डिका 2.1.4 के मापदण्ड अनुसार पूर्ण पाये गये है। खेल मैदान का नक्शा एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज सहित समस्त पूर्तियां कर दी गई है।	
7	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी.ए. (अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र) अति.विषय इतिहास, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साईंस, बी.एससी. - प्रथम वर्ष (कम्प्यूटर साईंस गणित, भौतिकशास्त्र) अति.विषय रसायनशास्त्र
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1170/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1171/369/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	इंफोटेक एजुकेशन सोसायटी, भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	आई ई एस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भोपाल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0कॉम0- प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्ली.सहित.
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में (पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम बी. बी.ए., बी.सी.ए. सहित) पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है। गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि संस्था को गत वर्ष इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11/04/2017 द्वारा निम्न मुख्य कमियों की पूर्ति 03 माह में करने के निर्देश दिये गये थे- "कौड़ाधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट नहीं है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां पूर्ण नहीं है। ग्रंथालय पर खर्च शून्य है।"


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था में शिक्षा संकाय के अतिरिक्त बी०बी०ए० तथा बी०सी०. ए० पाठ्यक्रम संचालित है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा कोड-28 में बी०बी०ए० तथा बी०सी०ए० में 08-08 नियुक्तियों की अधिसूचना वर्ष 2011 में जारी की गई थी, जिसमें से बी०बी०ए० में 01 तथा बी०सी०ए० में 03 नियुक्तियां हैं। शेष नियुक्तियों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 28/07/2016 को चयन समिति का गठन किया जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन बताई गई है।	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी०कॉम०- प्रथम वर्ष कम्प्यूटर एप्ली. सहित.
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि, संस्था द्वारा एक माह में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां अनिवार्य रूप से कर ली जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त माना जायेगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।
6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.


—3.

//3//

पृ. क्रमांक-1172/369/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.